

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-5-19	<p>अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलांत का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष खसरा नम्बर 496/6 रकबा 6 बिस्वा मे से 0.03 बिस्वा (453.75 वर्गमीटर) भूमि का कृषि भूमि को गैर कृषि कार्य मे रूपान्तरण किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राज० राजस्व नियम 2007 की पालना किये बिना ही अप्रार्थी संख्या 3 के हक मे कृषि भूमि को गैर कृषि कार्य हेतु रूपान्तरण के आदेश दिनांक 01.03.2016 को पारित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 ने अपार्थी संख्या 2 से मिलीभगत कर प्याउ,हैण्डपम्प,धर्मशाला व प्रतिकालय रोड से 40 फीट की परिधि मे बने हुये है, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को लाभ पहुंचाने के लिये नही की गई ओर न ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं अपने स्तर पर मौका देखा गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आदेश को स्थगित किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 3 को पाबंद किया जावे कि विवादित भूमि पर प्याउ,हैण्डपम्प,धर्मशाला व प्रतिकालय को घ्वस्त नही करे तथा आम जनता के उपयोग-उपभोग मे किसी प्रकार की बेजा मजाहमत तथा कोई निर्माण कार्य नही करे।</p> <p>हमने बहस अभिभाषक अपीलांत एक तरफा सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में तहसीलदार मालपुरा द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.03.2016 (रूपान्तरण) को स्थगित करते हुये अप्रार्थी संख्या 3 को पाबंद किया जाता है कि विवादित स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.07.2019 तक नही करे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे तथा अपीलाधीन आदेश से संबंधित मिसल भी मंगवाई जाकर पत्रावली दिनांक 04.07.2019 को पेश हो।</p>	

परिवर्तित जिला कलेक्टर टोंक -

4/7/19

अभिभाषक अपीलांत उक्त अर्जित अर्जित
 प्राप्त अर्जित अर्जित उक्त अर्जित
 अर्जित अर्जित अर्जित अर्जित अर्जित
 एडवोकेट अर्जित अर्जित अर्जित - 3
 P.F.O

862-865
 15-5-19

J.T. Kishore
 PWD
 15-5-19

for
 No. 3
 Sah
 (मो. खलीब)

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
FORM NO. III

नम्बर
अदालत
हुक्म की
में जाय

26-11-2020

अभि. उम्रभक्षण उप। तहसीलदार मालपुरा से
तहसीलदार रिपोर्ट अपाठ। स्थान आदेश की
अबाधि नियत दिनांक तक बढ़ायी जाती है।
पत्रावली इंतेजार रिपोर्ट दिनांक 17-12-2020
की पेश है।

बाविरक्त जिला कलेक्टर
दोंब

17-12-2020

अभिभाषक उम्रभक्षण उप। तहसीलदार मालपुरा से
तहसीलदार रिपोर्ट अपाठ की जाये। स्थान आदेश
की अबाधि नियत दिनांक तक बढ़ायी जाकर
पत्रावली दि. 8-1-2021 की पेश है।

बाविरक्त जिला कलेक्टर
दोंब

8-1-21

अभिभाषक रैस्को. उप। तहसीलदार मालपुरा से रिपोर्ट
अपाठ हुई। अभिभाषक अपीलान्त अनुपस्थित। अभिभाषक
अपीलान्त को आवाज लगावाई गई। अभिभाषक
अपीलान्त उपस्थित नहीं है। अभिभाषक रैस्को.
ने उपस्थित होकर प्रकरण में बहस करने हेतु पुनः
निवेदन किया। अभिभाषक अपीलान्त को आवाज लगाई
गई। अभिभाषक अपीलान्त उपस्थित नहीं है।
अभिभाषक रैस्को. का कथन है कि अपीलान्त
प्रकरण में एक तरफा स्थान लेकर प्रकरण को बरत
खींचना चाहता है। अतः यदि अपीलान्त बार-बार
आवाज के बावजूद भी बहस हेतु उपस्थित नहीं होता है
तो अपीलान्त द्वारा अपाठ किया गया एक तरफा
स्थान आदेश खारिज किया जावे। अभिभाषक
अपीलान्त को पुनः बार-बार आवाज लगावाई गई।
अभिभाषक अपीलान्त उपस्थित नहीं है। अतः
प्रकरण में जारी एक तरफा स्थान आदेश दिनांक
15/05/2019 को खारिज किया जात है। पत्रावली
वस्तु बहस दिनांक 15/01/2021 को पेश है। इतना
लिखने के उपरान्त अभिभाषक अपीलान्त ने भाग्य प
बाने उपस्थित होकर पार्थक्य- पत्र बावत द्रांसदूर

बाविरक्त जिला कलेक्टर
दोंब

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

क्रि. जा. पत्रावली पेश किया। पत्रावली दिनांक
15/01/2021 को पेश हो।

बाबिरकत जिजा कलक
दोष

15/1/21

आभिभाषण उममपक्ष उप। आभिभाषक भाग्यार्थी
शंरत्ना-3 प्रा. पत्र आवत- द्रोस फर क्रि. जा.
पत्रावली दिनांक का जवाब पेश करना चाहते हैं।
प्रा. पत्र की नकल दी गई। पत्रावली वास्तु
जवाब प्राथमिक-पत्र आवत- द्रोस फर क्रि. जा.
जा. पत्रावली दिनांक 5-2-2021 को पेश हो।

बाबिरकत जिजा कलक
दोष

5/2

आभिभाषण उममपक्ष उप। P. ल. र. बाबिरकत
दोष को मानकीय मायामय रानक मय
श. कलकते से प्राथमिक-पत्र मुन्तविली कलकते
आप 233 प्रा. पत्र इका है। पिसम आगामी
तारीख पेश 16-4-21 निमत है। पत्रावली
वास्तु प्राथमिक-पत्र आवत द्रोस फर
क्रि. जा. पत्रावली दिनांक 18-2-21 को
पेश हो।